

A-12025/1/2010/Sty/Vol.II
Government of India
Ministry of Housing & Urban Affairs
(PSP Division)

Nirman Bhawan, New Delhi.
Dated the 15th April 2025.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Amendment in Recruitment Rules for the post of Controller of Stationery at Government of India Stationery Office, Kolkata -Regarding.

In accordance with DoP&T OM No. AB-14014017/61/2008-Estt. (RR) dated 13/10/2015, comments of stakeholders are invited on the draft Recruitment Rules for the post of Controller of Stationery in Government of India Stationery Office, a subordinate office under the Ministry of Housing and Urban Affairs, till 15th May, 2025.

Encl: As above.



(Binay Kumar Malangia)

Under Secretary to the Government of India

Telephone No. 011-23061828

Email: binayk.malangia@nic.in

To

The Controller of Stationery,
Government of India Stationery Office,
No. 3, Church Lane Kolkata-700001.

Copy to: The Section Office (IT Cell), MoHUA, Nirman Bhawan, New Delhi with the request to upload this O.M. alongwith draft Recruitment Rules on the websites of the Ministry as well as Notice board of e-Office.

अधिसूचना

नई दिल्ली, -----, 2025

सा.का.नि. ---संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार स्टेशनरी कार्यालय तथा प्रकाशन विभाग (प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के पद) भर्ती नियम, 1963 को, जहां तक उनका संबंध स्टेशनरी नियंत्रक के पद से है, आंशिक रूप से अधिक्रमण करते हुए, उन बातों को छोड़कर जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या करने से छूट गई हैं, राष्ट्रपति एतद द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के स्टेशनरी कार्यालय में स्टेशनरी नियंत्रक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ---**(I) इन नियमों को भारत सरकार स्टेशनरी कार्यालय (स्टेशनरी नियंत्रक) भर्ती नियम, 2025 कहा जाएगा।

II ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान-** उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और उससे संबद्ध ग्रेड वेतन/वेतनमान इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं-** ऐसा कोई भी व्यक्ति---

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका पति या पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमत्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के तहत कार्रवाई से छूट दे सकती है।

5. **छूट देने की शक्ति---**जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो वहां सरकार एक आदेश द्वारा और कारणों को लिखित में दर्ज करके तथा संघ

लोक सेवा आयोग के परामर्श से, किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्ति को इन नियमों के उपबंधोंमें छूट दे सकती है।

6. **व्यावृत्तियां.** इन नियमों की कोई भी बात आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी जो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयनित पद या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टेशनरी नियंत्रक	*1 (एक) (2025) *कार्यभार के आधार पर बदलाव किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय.	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 78,800 रु. - 2,09,200 रु	चयन	लागू नहीं
सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी		परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो		
(7)	(8)	(9)			
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं			

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है
(10)	(11)
संयुक्त पद्धति [प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित):

(अल्पकालिक अनुबंध सहित)]

केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त या अर्ध-स्वायत्त निकायों के अधीन अधिकारी;

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67,700-2,08,700) या समकक्ष में लेवल-11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव होने चाहिए:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक डिग्री।

(ii) पर्यवेक्षी स्तर पर प्रशासन/वित्तीय मामलों में पांच वर्ष का अनुभव।

नोट 1 : वेतन मैट्रिक्स में लेवल के 1167700-208700/- रुपये में विभागीय उप नियंत्रक (प्रतिनियुक्ति वाले को छोड़कर) जिन्होंने ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा की हो और प्रतिनियुक्ति वाले के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो, उनके मामले में भी बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभाग के अभ्यर्थी को पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है, तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

नोट 2:

केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट 3:

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति और स्थायीकरण समिति। (प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति और स्थायीकरण पर विचार करने के लिए)</p> <p>1. सचिव (एचयूए), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय-अध्यक्ष</p> <p>2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव (पीएसपी), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय-सदस्य</p> <p>3. संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय-सदस्य</p>	<p>कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अधिसूचना दिनांक 15/3/2024 के अनुसार प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) या आमेलन या प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति (समग्र विधि) के मामले में यूपीएससी से परामर्श करना अपेक्षित नहीं है।</p>

(एफ.सं.)

बिनय कुमार मलंगिया, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the -----, 2025

G.S.R. ---In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in partial supersession of the Directorate of Printing, Government of India Stationery Office and Department of publication (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1963 in so far as they relate to the post of Controller of Stationery, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Controller of Stationery, in the Government of India Stationery Office in the Ministry of Housing and Urban Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement**---(1) These rules may be called the Government of India Stationery Office, (Controller of Stationery) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Posts, classification and scale of pay**—The number of said post, its classification and the Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person---

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for the appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**---Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the others issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Controller of Stationery	*1 (One) (2025) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 12 in the Pay Matrix of Rs.78,800-Rs. 2,09,200/-	Selection	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of Probation, if any	
(7)		(8)		(9)	
Not applicable		Not applicable		Not applicable	

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(10)	(11)
Composite method [Promotion/Deputation (including short term contract)]	Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Autonomous or Semi-Autonomous Bodies; (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii)with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level-11 in the Pay Matrix (67,700-2,08,700) or equivalent in the

	<p>parent cadre or Department; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>(i) Graduate Degree from recognized University/Institution.</p> <p>(ii) Possessing five years experience in Administration/Financial matters at supervisory level.</p> <p>Note 1 : The Departmental Deputy Controller (except deputationist) in Level 11 in the pay matrix of Rs. 67700-Rs.208700/- with five years regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for deputationist shall also be considered alongwith outsiders. If the department candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the central government shall ordinary not exceed five years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>
<p>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition</p>	<p>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment</p>
<p>(12)</p>	<p>(13)</p>
<p>Group 'A' Departmental Promotion, Deputation and Confirmation Committee. (for considering promotion, deputation and confirmation)</p> <p>1. Secretary (HUA), Ministry of Housing & Urban Affairs-Chairman.</p>	<p>Consultation of UPSC is not required in case of deputation/re-employment or deputation (including short term contract) or absorption or deputation/ promotion (composite method) as per DoPT notification dated 15/3/2024.</p>

2. Additional Secretary/Joint Secretary (PSP), Ministry of Housing & Urban Affairs-**Member.**

3. Joint Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs-**Member.**

[F. No.]

Binay Kumar Malangia, Under Secretary